

25/6/2020

आजमह फावली वादी ह्या शब्दा आदेश
23 नियम । संपत्ति धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत
करते पर वेधी में ली गयी उसी तिथि
दिना की प्रकरण में रजिस्ट्रार हो जाता है
अतः उस पाद फा ठागे नही चलाया जाये
है उस पाद वापिस लेकर नया पाद पौ
करना पाले है अतः उस पाद दिना
का नया पाद प्रस्तुत करने की अनुमति
दी जाये वादी की पक्षपात नियम. P.J. भा. 1
टाल की गयी

*As per
T. B. Me
[Signature]*

फावली का ठावलेका दिना वादी
का रजिस्ट्रार हो जाता है वह उस पाद
वापिस लेकर नया पाद प्रस्तुत कर
पुनः प्रस्तुत करा जाये अतः नया
रजिस्ट्रार का उस पाद दिना का नये
पाद लिये का ठावलेका दिना पाले
है नये के कर है।

रजिस्ट्रार ठावलेका
[Signature]

उपस्थित अधिकारी
[Signature]

